

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग
अधिसूचना

राँची, दिनांक-21.02.2022

संख्या: 12/पद०-05-01/2013 का०. 968/श्री प्रेम शंकर, (झा०स०आ०से०), प्रधान आप्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची (माननीय मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची के साथ प्रतिनियुक्त) को स्थानांतरित कर अगले आदेश तक उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, झारखण्ड, राँची में आप्त सचिव के पद को इनके पदस्थापन अवधि तक प्रधान आप्त सचिव के रूप में उत्क्रमित करते हुए प्रधान आप्त सचिव के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री प्रेम शंकर की माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची के साथ प्रतिनियुक्ति यथावत रहेगी।

संख्या: 12/पद०-05-01/2013 का०. 969/श्री शिव शंकर, (झा०स०आ०से०), प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को स्थानांतरित कर अगले आदेश तक कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची में प्रधान आप्त सचिव के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या: 12/पद०-05-01/2013 का०. 970/श्री राजेश कुमार, (झा०स०आ०से०), प्रधान आप्त सचिव, राजस्व पर्षद, झारखण्ड, राँची को स्थानांतरित कर अगले आदेश तक ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची में प्रधान आप्त सचिव के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या: 12/पद०-05-01/2013 का०. 971/श्री संजीव कुमार, (झा०स०आ०से०), प्रधान आप्त सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची को स्थानांतरित कर अगले आदेश तक गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची में प्रधान आप्त सचिव के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या: 12/पद०-05-01/2013 का०. 972/श्री विनोद कुमार, (झा०स०आ०से०), प्रधान आप्त सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड, राँची (प्रधान मुख्य वन संरक्षक का कार्यालय में प्रतिनियुक्त) को स्थानांतरित कर अगले आदेश तक उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची में प्रधान आप्त सचिव के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या: 12/पद०-05-01/2013 का०. 973/श्री उदय शंकर, (झा०स०आ०से०), प्रधान आप्त सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची को स्थानांतरित कर अगले आदेश तक वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड, राँची में आप्त सचिव के रिक्त पद को इनके पदस्थापन अवधि तक प्रधान आप्त सचिव के रूप में उत्क्रमित कर प्रधान आप्त सचिव के पद पर पदस्थापित किया जाता है।


संख्या: 12/पद०-05-01/2013 का०. 974/श्री कुमार मधुरेन्द्र, (झा०स०आ०से०), प्रधान आप्त सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को स्थानांतरित कर अगले आदेश तक राजस्व पर्षद, झारखण्ड, राँची में प्रधान आप्त सचिव के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या: 12/पद०-05-01/2013 का०. 975/श्री दिलीप कुमार, (झा०स०आ०से०), आप्त सचिव, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवाकार्य विभाग, झारखण्ड, राँची (प्रतिनियुक्त-राज्यपाल सचिवालय) को स्थानांतरित कर अगले आदेश तक पुलिस महानिदेशक, झारखण्ड, राँची में आप्त सचिव के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या: 12/पद०-05-01/2013 का०. 976/श्री दीपक कुमार वर्मा, (झा०स०आ०से०), निजी सहायक, पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत को अगले आदेश तक निजी सहायक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित करते हुए राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड में प्रतिनियुक्त किया जाता है।

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से




(एच० के० सुधाँशु)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-12/पद०-05-01/2013 का०. 976/

राँची, दिनांक-21.02.2022

प्रतिलिपि:- नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची/राज्यपाल के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/अपर मुख्य सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची/अपर मुख्य सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची/अपर मुख्य सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/पुलिस महानिदेशक, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव, राजस्व पर्षद, झारखण्ड, राँची/संयुक्त सचिव, राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची/कोषागार पदाधिकारी, राँची/कोषागार, राँची/सचिवालय कोषागार, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा/कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा कोषागार, डोरण्डा तथा सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव।